राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

शारीरिक शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम (बी.पी.एड.) 2018
में प्रवेश हेतु

सामान्य दिशा–निर्देशिका

प्रो. आर. के. कोठारी
कुलपति

प्रो. ए.वी.एस. मदनावत
समन्वयक, प्री.बी.पी.एड

प्री. बी.पी.एड प्रवेश परीक्षा कार्यालय 2018
शिक्षा विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
दूरभाष नं. 0141–2711070 / 2710184 / 2711064 एक्स. 2812 / 2811 / 2813
वेबसाईट–www.pbped2018.com

प्री.बी.पी.एड. प्रवेश हेतु दिशा निर्देश

- प्रवेश हेतु राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा समय समय पर जारी आदेश, निर्देश आदि लागू होंगे।

- **राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रवेश ऐजेन्सीः** राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा पत्रांक एफ–10(3) शिक्षा ग्रुप –4)/2016 पीटी जयपुर के दिनांक 12.10.2017 के द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय, निजी एवं डीम्ड विश्वद्यिालयों के विभिन्न शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी.पी. एड. पाठ्यक्रम के सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर केन्द्रीयकृत प्रवेश परीक्षा हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को अधिकृत किया गया है।

- सत्र 2018–19 के लिए राजस्थान के समस्त राजकीय, निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में बी.पी.एड. के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र निम्न वेबसाइट से पंजीकरण करवा के 30 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2018 तक परीक्षा शुल्क रू. 700/–भुगतान ऑनलाईन गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैकिंग से कर सकेगें तथा सफलतापूर्वक ऑनलाईन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान नकद करना चाहते है तो वे यूको बैंक के चालान के माध्यम से यूकों बैंक की किसी भी शाखा में नकद जमा करवा सकेगें। परीक्षा शुल्क उपरोक्त माध्यम से ही स्वीकार होगा।

- ऑनलाईन भुगतान के पश्चात वेबसाईट पर आवेदन पत्र ऑनलाईन कर अपने आवेदन पत्र की हाई कॉपी तीन प्रतियों में प्राप्त करें।

- आवेदन भरने के पश्चात हार्ड कॉपी को कार्यालय पर व्यक्तिशः/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से **''समन्वयक, प्री. बी.पी.एड प्रवेश परीक्षा 2018, शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 302004 (राजस्थान)''** के पते पर **05 अप्रेल, 2018** तक जमा करायें।

- बी.पी.एड.की वेबसाईट **www.pbped2018.com** पर सामान्य दिशा निर्देशिका के अध्ययन के पश्चात ही योग्य इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करें।
- **प्रशिक्षणः**–पाठ्यक्रम का नाम शारीरिक शिक्षा में स्नातक (B.P.Ed) अवधि दो वर्षीय न्यूनतम 200 कार्य दिवस प्रति शिक्षा सत्र् (प्रति सेमेस्टर न्यूनतम 100 कार्य दिवस) होगा।

- **उद्देश्यः**–इस प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लिए प्रतिवर्ष शारीरिक शिक्षा के अध्यापक, निरीक्षक, निदेशक तैयार करना है ताकि शिक्षण संस्थाओं में आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर दी जाने वाली शारीरिक शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, जिससें विशेषतः विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व के संतुलित विकास में शारीरिक शिक्षा शिक्षक अपना पूर्ण योगदान कर सकें।

- **मान्यता तथा सम्बद्धताः**–इस केन्द्रीयकृत प्रवेश प्रकिया में सम्मिलित समस्त शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय/विभाग राजस्थान सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) से मान्यता प्राप्त तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा कार्य के लिए विश्वविद्यालय से सम्बद्धता है।

- **प्रवेश हेतु महाविद्यालय, सीटेंः**–इस सत्र् के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित बी.पी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2018–19 हेतु संस्थावार सीटें वेबसाईट पर उपलब्ध कर दी जायेगी।

- **महत्वपूर्ण चेतावनी**

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तदनुसार प्री एम.पी.एड प्रवेश परीक्षा 2018 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहायता करने वालों को 3 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है

प्री.बी.पी.एड. प्रवेश हेतु दिशा निर्देश हेतु आवेदक कृपया ध्यान दें

प्री.बी.पी.एड. प्रवेश हेतु दिशा निर्देश

नोटः— उपरोक्त सस्थाओं एवं सीटों की संख्या हेतु अधिकृत स्थिति राज्य सरकार द्वारा इस सत्र के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण—पत्र, एन.सी.टी.ई की मान्यता एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा सम्बन्धता के अनुसार ही मान्य होगी।

1. **बी.पी.एड का पाठ्यक्रमः—**बी.पी.एड का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुसार होगा।

2. **प्रवेश प्रक्रियाः— पात्रता** (Eligibility)

    1. **<u>शैक्षिक योग्यताः—</u>**

- विधीनुसार गठित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि में 50 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण व भारतीय विश्वद्यिालय संघ/आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अन्तर महाविद्यालय/ इन्टर जोनल/ जिला/विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी होना आवश्यक हैं,

अथवा

- शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.ई. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) उपाधि में 45 प्रतिशत अंको में उत्तीर्ण हों।

अथवा

- स्नातक उपाधि में 45 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण हों एवं स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हों।

अथवा

- स्नातक उपाधि में 45 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण व भारतीय विश्वविद्यालय संघ/आई.ओ.ए./एस. जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय/अन्तर विश्वविद्यालय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता अथवा अन्तर महाविद्यालय/इन्टर जोनल/जिला/विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिताओं में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी हों।

अथवा

- स्नातक उपाधि उत्तीर्ण एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ/आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी हों।

अथवा

- स्नातक उपाधि में 45 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण हो एवं सरकारी सेवा में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक/प्रशिक्षक को कम से कम तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव हों।

राजस्थान सरकार के प. 10 (3) शिक्षा—4/2012 पार्ट दिनांक 01 अप्रेल, 2016 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत अंको की छूट लागू होगी।

जो अभ्यर्थी इस सत्र में स्नातक परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ठ हो रहे है, वे भी आवेदन कर सकते है। इन अभ्यर्थीयों को साक्षात्कार (Counselling) के समय उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, दसवीं, हायर सैकेण्डरी की मूल अंकतालिका सहित व दो फोटों प्रति प्रमाणित करा कर प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा अपात्र घोषित मानें जावेगें।

2. **आयुः–** बी.पी.एड. में प्रवेश हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु गणना का आधार इस वर्ष का 30 जून, 2018 होगा। 30 जून को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु पुरूष (सामान्य वर्ग) 28 वर्ष, सामान्य वर्ग (महिला), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (पुरूष व महिला) 33 वर्ष, सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक 45 वर्ष व पूर्व सैनिक 40 वर्ष होगा।

3. **शारीरिक योग्यताः–** बी.पी.एड. में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो एवं उसमें शारीरिक क्रियाओं को करने की क्षमता हो। खेलों को खेलने में शारीरिक अयोग्यता, विकलांगता, गूंगापन, अंधापन एवं नितान्त बहरापन नही होना चाहिए। महिला प्रवेशार्थी शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान गर्भावस्था में नही होनी चाहिए। उक्त अयोग्यताएं होने पर प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु पात्र नही होगा एवं प्रशिक्षण के दौरान उक्त अयोग्यताएं होने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त शारीरिक अयोग्यताएं न होने एवं शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार एवं शारीरिक क्षमता परीक्षण के दिन राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा जो पन्द्रह दिनों से पूर्व का नही होना चाहिए।

निर्देश में वर्णित शारीरिक अयोग्यताओं के बारें में यदि कोई संशय हो तो प्रवेश के समय प्रवेश गठित स्थानीय मेडिकल बोर्ड के पास भिजवाया जायेगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय प्रवेश के समय प्रवेश समिति एवं प्रशिक्षण के दौरान प्राचार्य द्वारा लिया जाएगा।

4. **शारीरिक क्षमता परीक्षणः–** प्रवेशार्थी को प्रवेश हेतु अंतिम वरीयता बनाने से पूर्व शारीरिक क्षमता परीक्षण (फिजिकल फिटनेस टेस्ट) उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसका वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं होगा।

Compulsary to pass Physical Fitness Test for B.P.Ed. admission
PHYSICAL FITNESS TEST (शारीरिक दक्षता परीक्षण)

वर्ग	समय	दूरी
पुरूष वर्ग	12 मिनट	2200 मीटर
महिला वर्ग	12 मिनट	1800 मीटर

सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय खेल पोशाक में दोड़ना अनिवार्य है।

प्रवेशार्थी जिस संस्था में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए अपने आवेदन पत्र के क्रमानुसार प्राथमिकता देते हुए विकल्प का उल्लेख करें।

प्रवेश आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के बाद में कोई भी दस्तावेज संलग्न नही किया जायेगा। आवेदन पत्र में जोड़ने से संबधित किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र या दस्तावेज प्रवेशार्थियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुति के बाद यदि प्रेषित किए जायेंगें तो जोड़े नही जायेगें परन्तु इस वर्ष स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले आशार्थी साक्षात्कार के समय अथवा निर्धारित तिथि तक स्नातक उत्तीर्ण की दो प्रमाणित फोटों प्रतियॉ कार्यालय में जमा करवायेंगें।

आवेदन पत्र में जो संबधित नही उसे काट दिया जाये एवं सलंग्न प्रमाणपत्रों का नाम, संख्या व कुल संलग्नकों की संख्या अंको एवं शब्दों में अंकित करने आवश्यक है, अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकार किया जायेगा।

किसी भी विभाग का कर्मचारी यदि आवेदन कर रहा है तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रवेश पत्र जमा करवाते समय अवश्य रूप से सलंग्न करे अन्यथा प्रवेश होने पर प्रवेश निरस्त किया जायेगा। किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नही किया जा सकेगा।

3. **सीटों का आरक्षणः–**

a. कुल सीटों में से समग्र योग्यता (ओवर ऑल मेरिट) के आधार पर 5 प्रतिशत सीटें अभ्यर्थियों के निवास के राज्य का विचार किए बिना आंवटित की जा सकेंगी चाहें अभ्यर्थी किसी भी राज्य का क्यों

न हो बशर्तें राजस्थान के बाहर के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थी की मेरिट राजस्थान के विभिन्न श्रेणियों की अंतिम अभ्यर्थी के प्रवेश की मेरिट से कम नही हो शेष सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगी जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है।

b. अन्य आरक्षण इस प्रकार होगाः—

i. राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियो के लिए 16 प्रतिशत

ii. राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12 प्रतिशत (इसमें से 45 प्रतिशत जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियो के लिए)

iii. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12 प्रतिशत

iv. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 21 प्रतिशत

v. राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार देय होगा

vi. राजस्थान की महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत में से 08 प्रतिशत विधवा एवं 02 प्रतिशत तलाकशुदा महिलाओं के लियें आरक्षित रहेगी।

उपरोक्त आरक्षित सीटों के रिक्त रहने पर उन पर प्रवेश सामान्य वर्ग के प्रवेशार्थियों की नियमानुसार बनी वरीयता के आधार पर दिया जायेगा।

c. बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु आंवटित कुल सीटों में से 30 सीटें राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो सी.पी.एड. उत्तीर्ण हो के लिए आंवटित होगी। इनके प्रवेश का आधार वरिष्ठता होगा, शैक्षणिक अहर्ता एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण अनिवार्य होगा। रिक्त रहने पर सामान्य वरियता से भरी जायेगी।

i. राजस्थान की अनुसूचित/अनु. जनजाति/महिला अभ्यर्थियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ii. विवाहित महिला के संदर्भ में उसके पति का बोनाफाइड निवास स्थान राजस्थान में उनका बोनाफाइड निवास स्थान माना जा सकता है। बशर्तें पति के निवास का बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र पेश किया जाये और विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, प्रवेश में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायें।

iii. विधवा एवं तलाकशुदा श्रेणी का लाभ लेने वाली अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधवा अभ्यर्थियों द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं तलाकशुदा महिला को न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र भी कि उसने पुनः शादी नही की है, देना होगा।

iv. सेवानिवृत्त सैनिक के लिए रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का डिस्चार्ज (सेवानिवृत्त) प्रमाण पत्र एंव सेवानिवृत्त पुस्तिका होनी चाहिए।

v. किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का विवरण मिथ्या पाया गया तो अभ्यर्थी स्वतः ही प्रवेश की पात्रता खो देगा और यदि प्रवेश मिल भी चुका हो तो वह भी निरस्त हो जायेगा।

vi. पात्र अभ्यर्थीयों की कुल संख्या में से पहले सामान्य सीटों हेतु चयन किया जायेगा। तत्पश्चात् आरक्षित कोटे का चयन किया जायेगा और यदि आरक्षित कोटे के स्थान रिक्त रहेंगे तो उन्हें सामान्य श्रेणी में स्थानान्तरित किया जा सकेगा और योग्यता सूची से भरा जा सकेगा।

vii. न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ जयपुर होगा। राजस्थान के शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों में बी.पी.एड. सत्र 2018–19 में प्रवेश देने की जिम्मेदारी सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय की है। अतः प्रवेश से संबधित शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यो के विरूद्ध न्यायालयों में दायर वाद इस विश्वविद्यालय को स्वीकार्य नहीं होगें। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं होगा।

4. शुल्क :– राज्य सरकार के निर्देशानुसार बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क निर्धारित किया जायेगा। लेकिन काउन्सलिंग के पंजीकरण हेतु रू. 5000/– का चालान से जमा कराने होगें, जो प्रथम वर्ष कुल अपेक्षित शिक्षण शुल्क रू. 22370/–का अंश है।

5. वरीयता का निर्धारणः–

बी.पी.एड़ हेतु आवेदन पत्रों को प्रथम राज्य वरियता/वर्गवार पृथक किया जाएगा तथा उसके बाद वरियता का निर्धारण आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा।

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत अंकों में से अधिकतम अंक 60 होगे।

   i. पूरक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए जाते है उन्हें न मानकर मात्र उत्तीर्णाक सम्बन्धित विषय/विषयों में (न्यूनतम अंक) एवं परीक्षा के अन्य विषयों को जोड़कर प्रतिशत वरियतांक दिये जायेगें।

   ii. श्रेणी सुधार हेतु छात्र/छात्राओं के द्वारा जिस परीक्षा में कुल अधिकतम अंक प्राप्त किया जाता है। उन्हें मानकर ही वरियता सूची बनाई जायेगी, अंक सुधार के प्राप्तांकों को वरियता बनानें में आधार नही लिया जायेगा।

2. मेरिट बनाने का आधार 100 अंक मानकर किया जायेगा

   a. स्नातक परीक्षा — 60 अंक

   b. सी.पी.एड या किसी भी खेल में एक वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा — 05 अंक

   c. खेल प्रमाण पत्र के अंक — 35 अंक

6. खेल क्रीड़ा कौशल स्तर योग्यताः– खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, नवोदय विश्वविद्यालय समिति, केन्द्र विद्यालय संगठन की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और विश्वविद्यालय/खेल बोर्ड द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों/विजेता खिलाड़ियों को उपलब्धि के अनुसार अंक (weightage) दिये जा सकेंगे। ओपन प्रतियोगिताओं के कोई अंक नही दिये जायेगें।

I.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	35 अंक

II.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	30 अंक
III.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	25 अंक
IV.	स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	20 अंक
V.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल राज्य स्तर/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. नेशलन स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारीयों के लिए	20 अंक
VI.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल राज्य स्तर/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. नेशलन स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारीयों के लिए	15 अंक
VII.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय/ स्कूल राज्य स्तर/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. नेशलन स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारीयों के लिए	13 अंक
VIII.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/जोन अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल राज्य स्तर /के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. नेशलन स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी खेल प्रमाणपत्र धारीयों के लिए	12 अंक
IX.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस. /सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलेस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं मे प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारीयों के लिए	10 अंक
X.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस. /सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलेस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारीयों के लिए	08 अंक
XI.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस. /सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलेस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारीयों के लिए	06 अंक
XII.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस. /सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलेस्टर स्तर स्तर की प्रतियोगिताओं मे प्रतिभागी खेल प्रमाण पत्र धारीयों के लिए	04 अंक

- सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक को उक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ किसी राजकीय/अनुदानित गैर राजकीय विद्यालय में न्यूनतम तीन वर्ष की निरन्तर सेवारत होना आवश्यक है।

7. प्रवेश प्रकिया निर्देश के नोट

- वरीयता निर्धारण के परिणामस्वरूप आने वाली वरियताओं में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ए.आई.यू. से मान्यता प्राप्त खेलों के खिलाड़ी वरीयता में स्थान न रखने पर भी प्रवेश प्रकिया निर्देश में दर्शायी गई न्यूनतम वांछित योग्यता पर प्रवेश दिया जायेगा। बशर्त की उसने शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो।

- वरियता सूची बनाते समय यदि दो या अधिक प्रवेशार्थियों के प्राप्तांक बराबर हो तो उनमें से आयु में जिस क्रम में बड़ा हो उसे उसी अनुरूप वरियता में स्थान दिया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि समान स्थिति में आ जाए तो हिन्दी वर्णमाला के अनुसार जिसका नाम पहले आए उसे वरियता में वरिष्ठ स्थान पर रखा जाएगा।

8. प्रमाण पत्र

जॉच करते समय यह देखा जाएगा कि निम्न प्रमाण पत्र क्या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/ प्रमाणित किये गये है? जारी प्रमाण पत्र की सक्षमता की पुष्टि होने पर ही प्रमाण पत्र वैध माने जाऐंगे अन्यथा वे अमान्य होगे तथा उस पर कोई लाभ देय नही होगा। यदि इन प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई संदेह की स्थिति प्रवेश आवेदन पत्रों की जॉच एवं मूल प्रमाण पत्रों के मिलान के समय उत्पन्न होती है, जॉच करवाई जाएगी एवं जॉच में प्रमाण पत्रों के गलत/असत्य/अप्रमाणित/ जाली पाए जाने पर प्रवेश प्रक्रिया की प्रथम स्थिति में प्रवेश ही दिया जाएगा एवं प्रशिक्षण अवधि की द्वितीय स्थिति में सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देकर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा एवं दोषी अभ्यर्थी के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला अभ्यर्थियों/ अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार द्वारा जारी सील सहित इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक का अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र (नमूना संलग्न) राजस्थान सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र उस शाला के प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इस पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक है। हस्ताक्षरकर्ता अपना पूरा नाम अंकित करेगें। हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य के पद के रूप में ही होने चाहिए। अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र न्यूनतम तीन वर्ष की लगातार अवधि का होना चाहिए एवं यह तीन वर्ष की अवधि आवेदन पत्र भरने की दिनांक तक निरंतर रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ही यह अध्यापन प्रमाण पत्र बी.पी.एड में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक के निर्धारित स्थान हेतु मान्य होगा।

- **पिता/संरक्षक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र** प्रवेशार्थी के पिता के जीवित होने पर पिता द्वारा एवं पिता के जीवित न होने पर माता/संरक्षक द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है, अविवाहित महिला/विधवा होने पर पिता द्वारा, विवाहित होने पर यह प्रमाण पत्र उसके पति द्वारा दिया जाना आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र में पिता/संरक्षक/पति द्वारा यह घोषणा करनी आवश्यक है कि मैं प्रवेश नियमों के अंतर्गत प्रवेश देने एवं प्रवेशार्थी का समस्त व्यय वहन करने हेतु सहमति देता हूँ और पूर्ण प्रशिक्षण काल में प्रवेशार्थी के व्यवहार एवं सभी उत्तरदायित्वों को वहन करूंगा।

नमूना

सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रमाण पत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी .... विद्यालय का नाम .... जिला .... की तृतीय वेतन श्रृखला में प्रथम नियुक्ति तिथि .... है। इनका मूल वेतन .... रूपये प्रतिमाह है। ये वेतन श्रृंखला .... कार्यरत है।

प्रतिहस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी	हस्ताक्षर संस्थाप्रधान
नाम एवं मोहर सहित	नाम एवं मोहर सहित